जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 07.09.2024**

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बनत तहसील के पास स्थित मान सरोवर होटल से बैग में रखी नगदी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 1,40,000/- रुपये बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 30.08.2024 को वादी श्री हरेन्द्र कुमार उर्फ इन्द्रदेव पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली ने सूचना अंकित कराई की में आज मकान निर्माण के लिए अलग अलग बैंक से 4.5 लाख रुपये निकालकर बैग में रखकर नाशता करने लिए बनत तहसील के पास मान सरोवर होटल में गया था। नाशता करने के दौरान मेरा बैग जिसमें 4.5 लाख रुपये रखे थे, बैग सहित अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमंडी पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का शीघ्र अनावरण एवं घटना में लिप्त अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक आदर्शमंडी को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 07.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी एवं लूट घटनाओं में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा मान सरोवर होटल से बैग एवं उसमें रखी नगदी की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त को चोरी की गयी धनराशि 1,40,000/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक आदर्शमंडी को निर्देशित किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दयासागर पुत्र कवँल सिंह निवासी मौहल्ला गुनियाना मण्डी पीरवाना बस्ती गली नं0 2 थाना सदर जनपद भटिन्डा (पंजाब)।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की हुयी धनराशि 1,40,000 रुपये।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत बिडौली चैक पोस्ट पर जिला पंचायत शामली का परिवहन शुल्क का ठेका लेकर शुल्क वसूलने वाले कर्मियो के ऊपर जाने से मारने की नियत से हमला करने व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

आज दिनांक 07.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.08.2024 को वादी श्री नाथीराम पुत्र सुल्तान सिंह ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा जिला पंचायत शामली का परिवहन शुल्क का ठेका लेकर शुल्क वसूलने वाले कर्मियो के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर गम्भीर रुप से घायल करने के संबंध में थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंशुल पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम शीतलगढ़ी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 ली0 कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 07.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अनिल पुत्र ब्रहम सिह निवासी ग्राम शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 371/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 178/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 770/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर शराब।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 4000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 1988 में अभियुक्त सतपाल पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम मन्ना माजरा राजपुतान थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 216/1988 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ/JD कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व उपरोक्त धाराओं में 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2016 में अभियुक्त जगपाल पुत्र कान्टू निवासी मुवारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 205/16 धारा 279/304ए/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 07.09.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/FTC कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायलय में उठने तक का कारावास की सजा व उपरोक्त धाराओं में कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.सतपाल पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम मन्ना माजरा राजपुतान थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

2.जगपाल पुत्र कान्टू निवासी मुवारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर